

छत्तीसगढ़ भू-संपदा विनियामक प्राधिकरण रायपुर

आदेश पत्रिका

क्रमांक - 146

प्रकरण क्रमांक -SM-URP-2025-02775

आवेदक : छत्तीसगढ़ रेरा विरुद्ध प्रमोटर-(1) कीर्तिमाया इंजी. लिमि. डायरेक्टर-रचना जैन, बीरेन जैन, अर्जुन जैन अधिकृत-श्री विपिन बंसल, पता-एल.आई.जी.-40, वार्ड क्रमांक-10, वैशाली नगर, भिलाई, जिला-दुर्ग (छ.ग.) (2) मेसर्स विशाल डेव्हलपर्स प्रो. श्री संजीव कुमार सिंह, पता-रूंगटा पेट्रोल पंप के पास, कुरुद, जिला-दुर्ग (3) श्री श्रेयांश जैन, (4) श्री ऋषभ जैन, पता-59, नेहरू नगर, भिलाई, जिला-दुर्ग (5) मेसर्स क्रीनियर सर्विसेस प्रा.लि. द्वारा-श्री कृष्णा जैन व राजन जैन, अधिकृत-विपिन बंसल, पता-वैशाली नगर, भिलाई, जिला-दुर्ग (6) श्री नागेन्द्र कुमार मिश्रा, पता-शिवाजी नगर, सुपेला, भिलाई, जिला-दुर्ग (छ.ग.)

आदेश कार्यवाही की तारीख व स्थान	आदेश अथवा कार्यवाही	पक्षकार अथवा प्रतिनिधि के हस्ताक्षर
25/05/2026	<p>- प्रकरण प्रस्तुत।</p> <p>- प्राधिकरण द्वारा दिनांक 03.09.2025 को अनावेदक क्रमांक-02 के विरुद्ध रूपये 5,00,000/- (अक्षरी राशि पांच लाख) की शास्ति अधिरोपित की गई थी, जिसे अनावेदक क्रमांक-02 द्वारा चालान के माध्यम से दिनांक 19.11.2025 को निर्धारित शासकीय मद में जमा कर चालान की मूल प्रति प्रस्तुत किया गया है। अनावेदक क्रमांक-02 भविष्य में यदि भूखण्डों का विकास एवं विक्रय करना चाहता है, तो सक्षम प्राधिकारी से विकास अनुज्ञा एवं विकास अनुमति प्राप्त करना होगा एवं प्रोजेक्ट का विधिवत् अधिनियम की धारा-03 के अधीन पंजीयन कराया जाना आवश्यक होगा।</p> <p>- आदेश की प्रति प्राधिकरण के वेबपोर्टल पर अपलोड की जावे।</p> <p>- प्रकरण नस्तीबद्ध कर अभिलेख कोष्ठ में दाखिल किया जावे।</p> <p style="text-align: center;">सही / - (धनंजय देवांगन) सदस्य</p> <p style="text-align: center;">सही / - (संजय शुक्ला) अध्यक्ष</p>	